

ग्राम पंचायत चंडी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के
लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चंडी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया। अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत चंडी में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे हैं।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती नीलम देवी	01-04-2022 से 31.03.2024

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री खेप सिंह	01.04.2022 to 31.01.2024
2.	श्रीमती जयवंती	01.02.2022 to 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत चंडी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1.	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	4.3	0.16
2.	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	6	06.89
3.	पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे।	7.1	2.04
4.	विवाह पंजीकरण के बिलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि	7.2	0.04
5.	रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	8.2	0.43
6.	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	8.3	0.14
7.	मस्ट्रोनों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे	9.1	0.13
8.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय।	9.2	0.10
9.	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	9.3	0.21
10.	सभा निधि से अनुचित भुगतान करने बारे	9.4(i)	0.03
11.	सभा निधि से से अनियमित भुगतान करने बारे	9.4(ii)	0.07
12.	PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में अन्तर बारे	10.5	2.92

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत चंडी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01-04-22 से 31-03-24 के लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा

परीक्षक द्वारा दिनांक 29-06-2024 से 04-07-2024 तक ग्राम पंचायत चंडी के कार्यालय में किया गया। वर्तमान लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	11/2022	04/2022
2.	2023-2024	01/2024	04/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत चंडी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01-04-22 से 31-03-24 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4000/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अध्याचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP CHANDI/08 दिनांक:-04.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत चंडी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (क) स्व:-स्तोत व अनुदान

ग्राम पंचायत चंडी के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व:-स्तोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट- 1, 2 में भी दिया गया है:-

(i) स्व:-स्तोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	587	367713	368300	56708	311592
2023-24	311592	25063	336655	158390	178265

(ii) अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	2052255	2958380	5010635	3651337	1359298
2023-24	1359298	741998.31	2101296.31	1411879.31	689417

कुल योग (i + ii) = ₹178265 + 689417 = ₹ 867682

(ख) ग्राम पंचायत चंडी, विकास खण्ड चम्बा जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/24 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	शाखा	अनुदान का नाम	राशि (₹)
1	17910107007	HPSCB CHAMBA	own resources/5TH SFC/RGSAY/SBM/	479803.82
2	9905110000160	HPGB PUKHRI	15TH FC	372291
			Total	852094.82

अन्तर (क-ख) 867682 - 852094.82 = ₹ 15587.18

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2024 को राशि ₹-15587.18 का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था।

4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.16 लाख का अन्तर पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹ 15587.18 का अन्तर है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2024-25/GP CHANDI/03 दिनांक 04.07.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध

था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

अतः भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹6.89 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा "परिशिष्ट - 3" पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹6.89 लाख की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या- SAD/CBA/RK/2024-25/GP CHANDI-05 दिनांक 04.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चंडी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹2.04 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पत्ति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पत्ति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹204745/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2024 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	2022-23	143095	409	100	40900	183995	0	183995
2	2023-24	183995	415	50	20750	204745	0	204745

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 03 दिनांक 04-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पत्ति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण के विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹0.04 लाख की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरान्त ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, **परिशिष्ट -4** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24 के विवाह पंजीकरण शुल्क की व विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अयहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹3800/- की वित्तीय हानि हुई। तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं

करवाया गया है अपितु इसे बैंक के निधि खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

इस सम्बन्ध में जारी अध्याचना संख्या-04 दिनांक 04-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि “विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी।” अतः उपरोक्त राशि को सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 09 दिनांक 04-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को ₹0.43 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोर्टेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र X-फॉर्म प्राप्त कर सम्बन्धित पंचायत को देना अनिवार्य है तथा पंचायत द्वारा अखबार में प्रकाशित निविदाओं में फॉर्म -X/M न होने की दशा में रॉयल्टी की कटौती करने हेतु भी प्रावधान रखा था। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चम्बा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी काटने के आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत चंडी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णतः अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अन्नापति प्रमाण पत्र/X-फॉर्म लिया गया जिस कारण आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को राशि ₹3835375.00 का अनियमित भुगतान किया गया और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई। जिससे कि, सरकार को जुर्माना सहित राशि ₹43265/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट " 5" में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/ GP CHANDI/07 दिनांक 04-07-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं आगामी भविष्य में / X फॉर्म न होने की स्थिति में

नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबन्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अतः उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव प्रतीत हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अतः इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.14 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹281207/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "5" में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बन्धित चालान अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹14060/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP CHANDI/07 दिनांक 04-07-2024 के प्रत्युत्तर में

पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

9.1 ₹0.13 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत चंडी के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।
3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

मस्ट्रोल संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या /दिनांक	राशि	विवरण	मद	कार्य का नाम
6911	4	9000	labour payment	15th fc	c/o water storage tank mohal
6917	13/17.04.23	4200	labour payment	15th fc	c/o Aanganbadi toilet at badota
		13200			

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 10 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत चंडी के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके

प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि “उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा।”

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹0.10 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, (Tenders) कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है। तथा इसके अतिरिक्त

पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत चंडी द्वारा राशि ₹9927/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशी (₹)
1	10/17.04.23	15th fc	Thakur Hardware Store VPO Pukhri	bricks	4752
2	16/17.04.23	15th fc	Thakur Hardware Store VPO Pukhri	bricks	5175
				Total	9927

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 06 दिनांक 04-07-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत चंडी के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि “भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।” प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्रोत से वसूल कर सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹0.21 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, परिदान के समय, उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹20669.00 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नहीं की गई थी

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशी (₹)
1	02/13.04.23	sf	sambiyal enterprises chamba	computer /printer eccessory	11250
2	04,05/28.04.23	sf	usha electrical po rajpura	15 wat panel,room heater	9419.0
Total					20669

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP CHANDI/11 दिनांक 04-07-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नहीं दोहराया जायेगा

अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

सम्बंधित व्यक्ति से करके उचित स्त्रोत में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 (i) सभा निधि से राशी 2950/- का अनुचित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने वाले खर्चों को मितव्ययिता के साथ किये जाने के नियम प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि से निम्न विवरण अनुसार क्रमांक संख्या 1. पर दर्शाए गये सामान /स्टोर को आपूर्तिकर्ताओं से क्रय किया गया था किन्तु उक्त स्टॉक / सामान की खरीद के तुरंत बाद रिपेयर दिखाई गई थी

जबकि उक्त क्रय किये गये सामान की वारंटी कार्ड नहीं दिखाया गया था इसके अतिरिक्त क्र० सं० 2 में दर्शाए गये सामान/ स्टोर को या तो बार बार क्रय किया जा जहा था पंचायत द्वारा यह नहीं बताया गया की उनके पास कितने प्रिंटर कार्यरत थे तथा क्र० सं० 3 में दर्शाए गये सामान/स्टोर को स्टॉक रजिस्टर में नहीं पाया गया था । क्र संख्या 4 में दर्शाए गई व्यय को प्रधान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था जोकि अनुचित प्रतीत होता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	सामग्री का विवरण	राशी	रिमार्क
1	11,14/02.09.22	SF	sambiyal enterprises chamba	Repair of printer	7300	printer purchase on dated 28.03.22 (warranty card not produced
2	23/15.03.23	Sf	sambiyal enterprises chamba	cartage purchase	3750	cartage already purchase on date 27.07.22 and 27.07.23
3	29/31.03.23	Sf	kalia infortech po thakri matti	dongle realtime	3849	not found in stock register
4	02/13.04.23	Sf	sambiyal enterprises chamba	computer /printer Accessory	11250	bill not verified by Pradhan
Total					26149	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP CHANDI/03 दिनांक 04-07-2024 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जायेगा तथा उक्त राशी की वसूली कर ली जाएगी अतः उक्त किये गये भुगतान की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए।

ii) सभा निधि से राशी 0.07 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने वाले खर्चों को मितव्ययिता के साथ किये जाने के नियम प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि से निम्न विवरण अनुसार तिरंगा झंडा खरीद हेतु भुगतान किया गया था जिसका हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम में कोई प्रावधान नहीं होता जोकि अनियमित प्रतीत होता है। जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	सामग्री का विवरण	राशी
1	10/29.08.22	SF	Director, languagr & culture deptt	Flag	7150
				Total	7150

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP CHANDI/03 दिनांक 04-07-2024 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा

गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जायेगा तथा उक्त राशी की वसूली कर ली जाएगी अतः उक्त किये गये भुगतान की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए ।

10.1 रोकड़बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है । रोकड़बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अधशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में अधशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है । इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती । ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता ।

इस सन्दर्भ में जारी अध्याचना संख्या-03 दिनांक 04-07-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़बहियों को पंचायत

अभिलेख में रख लिया जायेगा । अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये ।

10.2 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करने बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत चंडी के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा था जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

10.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला, DPO 5th स्टेड व Sfc का पंचायत द्वारा स्व-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 03 दिनांक 04-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत चंडी द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान, बैंक सर्टीफिकेट इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नहीं क्या जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-03, दिनांक :-04-07-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.5 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹2.92 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्ट्रों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वह मैनुअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनांक 31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि ₹ 292070.00 का अन्तर पाया गया

31-03-2024 को PRYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष

31-03-2024 को PRYASOFT में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष ₹ 1159752.00

31-03-2024 को पंचायत द्वारा मैनुअल संधारित रोकड़बही का अन्तशेष ₹ 867682.00

अन्तर ₹ 292070.00

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ें सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अध्याचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP CHANDI/03 दिनांक 04.07.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

अतः दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10.6 महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	-----	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी	31	95(1)
	आकलन का रजिस्टर		
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी

इस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या-03, दिनांक 04.07.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

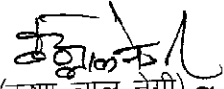
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चंडी की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।
13. **निष्कर्ष:-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

20 SEP 2024


(कृष्ण लाल नेगी) 20.9.24
सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

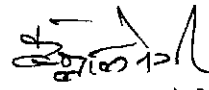
4699-4803 का/00

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 162/2024 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ग) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत चंडी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

20 SEP 2024

 20.9.24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

का/00

परिशिष्ट -1		पैरा संख्या 4.1(क)(i)		के संदर्भ में	
Financial Position of Own Sources in r/o			" GP Chandi "	Dev. Block CHAMBA	Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	587	367713	368300	56708	311592
2023-24	311592	25063	336655	158390	178265


 Secretary
 Gram Panchayat Chandi
 Distt. Chamba (H.P.)

परिशेष -2

पैरा संख्या 4.1(क)(iii)

के संदर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/c " GP Chandi "

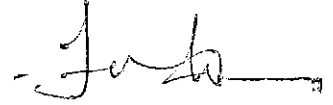
Dev. Block Chamba

Distt Chamba HP-176312

Year Ended

2022-23, 2023-24

Year	Op. Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	2052255	2958380	5010635	3651337	1359298
2023-24	1359298	741998.31	2101296.31	1411879.31	689417



Secretary

Gram Panchayat Ch.

Distt. Chamba (H.P.)

परीक्षित -3

पैरा संख्या 4.3 व 6

के संदर्भ में

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP Chandhi "	Dev. Block Chamba	Distt Chamba HP-176312	Year Ended	2022-23
Sr.no.	Particulars	Op. Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	SBM	22319	281	22600	22600	0
2	RGSA	554937	225	555162	321295	233867
3	5TH STATE	72082	344215	416297	347914	68383
4	14thfc	10405	0	10405	10405	0
5	15thfc	645273	574075	1219348	162300	1057048
6	MGNREGA	0	1097540	1097540	1097540	0
7	IWMP	747239	942044	1689283	1689283	0
	Total	2052255	2958380	5010635	3651337	1359298
Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP Chandhi "	Dev. Block Chamba	Distt Chamba HP-176312	Year Ended	2023-24
1	SBM	0	0	0	0	0
2	RGSA	233867	0	233867	0	233867
3	5rd STATE	68383	335597	403980	316748	87232
4	14thfc	0	0	0	0	0
5	15thfc	1057048	88199	1145247	776929	368318
6	MGNREGA	0	318202.31	318202.31	318202.31	0
	Total	1359298	741998.31	2101296.31	1411879.31	689417

Balance as per cash book as on 31.03.2024

1	Cash Book Balance on 31.03.2024	Own sources			178265
2	Cash Book Balance on 31.03.2024	SBM			0
3	Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA			233867
4	Cash Book Balance on 31.03.2024	5rd STATE			87232
5	Cash Book Balance on 31.03.2024	14thfc			0
6	Cash Book Balance on 31.03.2024	15thfc			368318
7	Cash Book Balance on 31.03.2024	MGNREGA			0
		Total			867682

Balance as Per Bank on 31.03.24

A/c No	Branch	Head			
1 17910107007	HPSCB CHAMBA	own resources/5TH			479803.82
2 9905110000160	HPGB PUKHRI	SFC/RGSAY/SBM/			372291
	Cash In Hand	15TH FC			0
	Total				852094.82
				Difference	15587.48

Note :- 1. online cash book(e-gram swaraj) not produced in audit

2. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book .So opening balance taken from bank pass books and DPO Trial balances.

3. mgnarega cash book not produced in audit. So income and expenditure taken from financial statement.

[Signature]

17/03/24
Tajin Panchayat Ch
Distt Chamba HP-176312

सारांश-4 पर संख्या नं० के अंदर है

क्र संख्या	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	सरकारी कोष में जमा न की गई राशी
1	01	अभिषेक कुमार	23-4-2022	12-5-2022	200	200	200
2	2	गुण कुमार	02-5-2022	23/05/2022	200	200	200
3	3	पिंकम चन्द	8/7/2022	26/7/2022	200	200	200
4	4	अंकित कुमार	18/7/2022	2/8/2022	200	200	200
5	1	रमन कुमार	15/02/2023	27/02/2023	200	200	200
6	2	अमर ठाकुर	22/02/2023	13/03/2023	200	200	200
7	3	राजाव कुमार	20/05/2023	20/06/2023	200	200	200
8	4	सुदेश कुमार	23/06/2023	11/07/2023	200	200	200
9	5	अश्विन सिंह	23/06/2023	11/07/2023	200	200	200
10	6	राहुल	03/07/2023	21/07/2023	200	200	200
11	7	मनोश कुमार	24/07/2023	26/10/2023	200	200	200
12	8	मुकेश कुमार	24/09/2023	26/10/2023	200	200	200
13	9	अश्विनी मेहता	24/09/2023	26/10/2023	200	200	200
14	10	शालिमार दवाज	22/11/2023	30/11/2023	200	200	200
15	11	राजत राठी	22/11/2023	30/11/2023	200	200	200
16	1	मनोश शर्मा	31/01/2024	12/02/2024	200	200	200
17	2	अजय कुमार	14/02/2024	13/03/2024	200	200	200
18	3	विनय कुमार	7/3/2024	13/03/2024	200	200	200
19	4	सतीश कुमार	13/04/2024	14/5/2024	200	200	200
20							
21						1000	3000
22							
23							
24							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Secretary
Gram Panchayat Chamba
Distt. Chamba (H.P.)

DETAIL OF VENDOR/SUPPLIER IN R/O GP CHANDI D.B CHAMBA FROM WHICH ROYALTY NOT DEDUCTED & GST PAID BUT CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT

01-04-2022 TO 31-03-2024

SP. NO.	NAME OF VENDOR/SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/BILL DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	RATE OF ROYALTY	ROYALTY NOT PAID	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT
1	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	02/01.04.22	stone	16	36	80	2880.0	20160.0	19200.0	960.0
2	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	02/01.04.22	sand	6	9.72	80	777.6	10670.0	10161.9	508.1
3	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	02/17.04.22	sand	3.63	5.87	80	469.8	6400.0	6095.2	304.8
4	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	03/17.04.22	agg	5.81	11.03	80	882.5	10250.0	9761.9	488.1
5	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	08/17.04.22	sand	1.32	2.96	80	237.0	2335.0	2223.8	111.2
6	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	09/17.04.22	agg	5.81	13.00	80	1040.4	2184.0	2080.0	104.0
7	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	01/17.04.22	sand	1.42	2.29	80	183.5	2500.0	2381.0	119.0
8	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	19/17.04.22	sand	3.57	5.78	80	462.5	6048.0	5760.0	288.0
9	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	20/17.04.22	agg	3.09	5.00	80	730.4	9552.0	9097.1	454.9
10	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	23/17.04.22	sand	13.39	30.13	80	400.1	5232.0	4982.9	249.1
11	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	27/17.04.22	stone	3.74	6.06	80	2410.2	16068.0	15302.9	765.1
12	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	28/17.04.22	sand	8.14	13.19	80	484.5	6336.0	6034.3	301.7
13	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	05/27.07.22	stone	39.53	64.04	80	1054.9	9768.0	9302.9	465.1
14	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	04/12.05.22	sand	26.75	43.34	80	5123.1	47010.0	44771.4	2238.6
15	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	05/27.07.22	stone	39.00	87.75	80	3466.8	47215.0	44966.7	2248.3
16	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	05/16.03.22	stone	39.00	87.36	80	7020.0	46800.0	44571.4	2228.6
17	Pradeep Kumar govt cont PO Chandl	15th fe	05/16.03.22	stone	39.00	87.36	80	6988.8	46740.0	44514.3	2225.7
Add :- 25% penalty					432.6503837			34612.0	295268.0	281207.6	14060.4
Total					34612.0307	8653.008		8653.01		43265.04	

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal

Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Dept. Of Industry & Mining

Conversion Factor

2 A. From Square Feet to Cubic Meter M3

35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M³)3 B. From Cubic Meter (M³) to Tonne

Common to all items Sand, Stone & Aggregate

One Cubic Meter (M³) SandOne Cubic Meter (M³) AggregateOne Cubic Meter (M³) StoneOne Cubic Meter (M³) Stone

1.62

1.9

2.24

4 All items Sand, Stone & Aggregate average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne.

5 As per quotation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared whether it is paid or not

209

Joshi

S. S. S. S.

